न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी जिला चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार मेघवाल, आई.ए.एस.
प्रकरण संख्या :– 2/2020 ई.रे. दिनांक 26.02.2026

नानुराम पिता किशना मीणा नि. डबेला तह. बडीसादडी

– प्रार्थी

बनाम

1– नारायण पिता भगवाना मीणा नि. डबेला तह. बडीसादडी
2– उपपंजीयक जरिये तहसीलदार बडीसादडी
3–राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बडीसादडी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंर्तगत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित– श्री चेतन जायसवाल वकील प्रार्थी

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी की ओर सें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि –

1– प्रार्थी ने उक्त उनवान का एक वादपत्र बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायाल आप में पैश किया है कि किन्तु उसके अंतिम निस्तारण में समय लगने की पूर्णसंभावना है जिसे कारण उक्त प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर पेश है।

2– खाता संख्या 27 की आराजी नं. 136 रकबा 0.8900 है., आराजी नं. 137 रकबा 0.0400 है., आराजी नं. 138 रकबा 0.1000 है., आराजी नं.139 रकबा 0.1900 है., आराजी नं. 140 रकबा 1.5200 है.,आराजी नं. 190 रकबा 0.4600 है., कुल किता 6 रकबा 3.1100 है. कुल लगानी 16.6600रूपये ग्राम डबेला प.ह.बांसी तह. बडीसादडी में स्थित हैं। उक्त आराजीयात को प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबोधित किया जायेंगा।

3– प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैः–

मुल पुरूष देवा के तीन पुत्र हुऐ थे जो कमशः भगवाना, तेजा तथा गला है। भगवाना, तेजा व गला तीनो की मृत्यू हो चुकी है। भगवाना के एक पुत्र अप्रार्थी नं. 1 नारायण है तथा तेजा के एक पुत्र किशना हुआ जिसकी मृत्यु हो चुकी है व गला के कोई सन्तान नही हुई। अप्रार्थी नं. 1 नारायण के कोई कोई संतान नहीं हुई तथा किशना के चार पुत्र–पुत्रिया है जो सुगणाबाई, प्रार्थी नानुराम, राधेश्याम, व उदयलाल है।

4– मुल पुरूष देवा के तीन पुत्र हुऐ थे जो कमशः भगवाना, तेजा तथा गेला है। भगवाना, तेजा व गला तीनो की मृत्यू हो चुकी है। भगवाना के एक पुत्र अप्रार्थी नं. 1 नारायण है तथा तेजा के एक पुत्र किशना हुआ जिसकी मृत्यु हो चुकी है व गला के कोई सन्तान नही हुई। अप्रार्थी नं. 1 नारायण के कोई कोई संतान नहीं हुई तथा किशना के चार पुत्र–पुत्रिया है जो सुगणाबाई, प्रार्थी नानुराम, राधेश्याम, व उदयलाल है। नारायणीबाई किशना जी की पत्नि है। हुडी तेजा जी की पत्नि है। हुडी की मृत्यू हो चुकी है। अप्रार्थी नं. 1 नारायण जीवित है किन्तु नारायण के कोई औलाद नही है।

5– वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पैत्रिक पुश्तेनी आराजीयात है जिसमे प्रार्थी व अप्रार्थी अपने–अपने हक हिस्से काबिज है। किन्तु वादग्रस्त आराजीयात का आज तक मोके पर हक हिस्से अनुसार विधिवतरूप से प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच बंटवाडा नहीं हुआ है।

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी

6– अप्रार्थी नं. 1 नारायण के कोई जायन्द औलाद नहीं है तथा नारायण एवं उसकी पत्नि काफी बुजुर्ग होकर बिमार रहते है जिस कारण करीब दस वर्षो से अप्रार्थी नं. 1 नारायण व नारायण की पत्नि की सेवा चाकरी, खाना–पिना ईलाज सहित सारा खर्चा प्रार्थी की वहन कर रहा है और अप्रार्थी नं. 1 नारायण के हक हिस्से की आराजीयात को भी अप्रार्थी नं. 1 नारायण ने प्रार्थी को करीब 20 वर्षो से सिपुर्द कर रखी है जिस कारण प्रार्थी अप्रार्थी नं. 1 नारायण के हक हिस्से की सम्पूर्ण आराजीयात पर काबिज होकर उसका उपयोग–उपभोग करता चलाल आ रहा है तथा प्रार्थी ही अप्रार्थी नारायण और नारायण की पत्नि की सेवा चाकरी देखभाल करता चला आ रहा हे।

7– अप्रार्थी नारायण के कोई जायन्दा औलदार नही है अब वह काफी बुजुर्ग होकर बिमार रहता है जिस कारण वह लोगों के बहकावें में आकर उसके नाम दर्ज आराजीयात को विकय कर खुर्द–बुर्द करने पर आमदा जबकि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थी एवं अप्रार्थी की पैत्रिक पुश्तेनी आराजीयात है और वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी एंव अप्रार्थी के बीच विविधवत रूप से हक हिस्सें अनुसार बंटवाडा नही हुआ है फिर भी अप्रार्थी नारायण वादग्रस्त आराजीयात को विकय कर खुर्द–बुर्द करने पर आमदा है जिस कारण अप्रार्थीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात को विकय, रहन या हस्तातरण कर खुर्द बुर्द न करे न करावें तथा राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति को बनायें रखे।

8– वादग्रस्त आराजीयात का प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच हक हिस्से अनुसार मोके पर विधिवतरूप से बंटवाडा नही हुआ है तथा रकबे की कमी पेशी एवं लगान की फाटनी को लेकर भी प्रार्थी एंव अप्रार्थी के बीच झगडा होता रहता है जिस कारण प्रार्थी एवं अप्रार्थी के बीच वादग्रस्त आराजीयात का मोके पर हक हिस्से अनुसार विधिवतरूप से बंटवाडा कराया जाना न्यायोचित है।

9– प्रार्थी का प्रथमदृष्टया केस प्रमाण्ति है यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नही किया गया तो प्रार्थी को ऐसी अपुर्णनीय क्षति कारीत होगी जिसकी पूर्ति अन्य रूप से संभव नही है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वह वादग्रस्त आराजीयात को विकय, रहन या हस्तांतरण कर खुर्द–बुर्द न करे न करावे तथा राजस्व रिकार्ड एवं मोके की यथास्थिति को बनाये रखे।

वकील प्रार्थी की बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु विधि के तीन बिन्दुओं को प्रमाणित करना होता है :–

1– प्रथम दृष्टया मामला
2– सुविधा का संतुलन
3– अपूरणीय क्षति

1– <u>प्रथम दृष्टया मामला</u>

पत्रावली पर प्रस्तुत अभिवचनों व दस्तावेजो से यह प्रमाणित होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात में विपक्षी खातेदार काश्तकार है। जिसे अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। पत्रावली में कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर होता हो कि विपक्षी उक्त आराजीयात पर हस्तातंरण कर रहा है या खुर्द बुर्द कर रहा है। इस आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है।

<u>2. सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :–</u>

वाद ग्रस्त आराजीयात में विपक्षी खातेदार काश्तकार है। जिसे अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थी के पक्ष में नही है अतः सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। तीनो ही तात्विक बिन्दुओं को प्रार्थी साबित करने में असफल रहे है।

सहायक कलेक्टर
वड़ीसादड़ी

—:आदेश:—

पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि वाद ग्रस्त आराजीयात में विपक्षी खातेदार काश्तकार है। जिसे अस्थाई निषेघाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है। पत्रावली में कोई ऐसा दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर होता हो कि विपक्षी उक्त आराजीयात पर हस्तातंरण कर रहा है या खुर्द बुर्द कर रहा है। । इसलिये प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित नहीं है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 (प्र.सं. 2/2020) आर.टी.एक्ट. को अस्वीकार किया जाता है। सारहीन होने से खारीज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 26.02.2026 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रवीन्द्र कुमार मेघवाल (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी